U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu & yfyr dqekj xqIrk] vkbZ-,-,l

jktLo f}rh; vihy la[;k 88@2015

vihykUVl	**cuke**	**jLiksMsUVl**
1. दुर्गा पुत्र जैरा, उम्र 80 वर्ष 2. धन्ना पुत्र श्री जेरा, उम्र 70 वर्ष, दोनों जाति सिरवी, निवासीगण ग्राम बिजोवा, तहसील देसूरी, हाल तहसील रानी, जिला पाली।		1. पौनी देवी पत्नी श्री मोटाराम पुत्री श्री कसाराम 2. लेरी पत्नी टीकम, पुत्री कसाराम 3. जमना पत्नी भगजी, पुत्री कसारीम 4. सुखी पत्नी घीसाराम, पुत्री कसाराम, निवासीगण, ग्राम बिजोवा, तहसील देसूरी, हाल तहसील रानी, जिला पाली। 5. तहसीलदार , देसूरी हाल तहसील रानी, जिला पाली।

<u>vihy vUrxZr /kkjk 76 jkt0 Hkw jktLo vf/kfu;e 1956 fo:)</u>

<u>vkns'k</u> दिनांक 1.6.2015 जो जिला कलेक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या 17/13 अनवान पोनी देवी बनाम दुर्गा वगैरा मे पारित कर नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 16.5.1989 को निरस्त किया गया।

mifLFkfr %&

1. श्री वी.आर. चौधरी,/एम.एल चौधरी अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. श्री सिद्धार्थ परिहार,अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 की ओर से अधि0 उप0
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

<u>fu.k;</u>

दिनांकः

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिजोवा के खसरा संख्या 245 मीन रकबा पाव ओघा की कृषि भूमि स्थित है। जो रेपोडेन्ट वर्तमान अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष मे विरासत का म्युटेशन स्वीकृत किया है जबकि अपीलास भी मृतक के विधिक वारिसान है जिनका भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकृत किया जाना चाहिए था, लेकिन

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच एवं सुनवाई अवसर दिये नामान्तरकरण संख्या 88 स्वीकृत कर दिया, जो विधि के विपरीत होने से प्रकरण पुनः जांच एवं सुनवाई हेतु तहसीलदार को रीमाण्ड किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र तय किये बिना ही एवं पत्रावली दिनांक 7.7.2015 को नोटिस की तलबी शेष के लिये चल रही थी, इसके बावजूद रेस्पोडेन्टस को सूचना दिये बिना ही पेशी दिनांक 7.7.2015 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 1.6.2015 को मुर्कर कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2015 पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 7.7.2015 को नोटिस की तलबी शेष के लिये चल रही थी, इसके बावजूद रेस्पोडेन्टस को सूचना दिये बिना ही पेशी दिनांक 7.7.2015 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 1.6.2015 को मुर्कर कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2015 पारित कर दिया। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को तय किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस संबंध मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना पारित आदेश विधि विपरित माना जायेगा।

यह है कि विवादित भूमि मौजूदा अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद की थी तथा वक्त खरीद से कब्जा अपीलान्टस को सुपुर्द कर दिया था तब से अपीलान्ट का कब्जा–काश्त शांति पूर्वक मौजूदा रेस्पोडेन्ट की जानकारी से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रेकर्ड से यह जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि मौजूदा समय मे अपीलान्टस के नाम दर्ज है, इसके बावजूद उक्त तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अन्य उचित आदेश जो अपीलान्टस के पक्ष मे हो पारित फरमाया जावे।

jktLo vihy l[; 88@2015 nxk cuke ikuh oxjk

उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिजोवा के खसरा संख्या 245 मीन रकबा पाव अीघा की कृषि भूमि स्थित है। जो रेपोडेन्ट वर्तमान अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष मे विरासत का म्युटेशन स्वीकृत किया है जबकि अपीलास भी मृतक के विधिक वारिसान है जिनका भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकृत किया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच एवं सुनवाई अवसर दिये नामान्तरकरण संख्या 88 स्वीकृत कर दिया, जो विधि के विपरीत होने से प्रकरण पुनः जांच एवं सुनवाई हेतु तहसीलदार को रीमाण्ड किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय मे अंकित किया है कि अपीलान्ट मृतक खातेदार के विधिक वारिसान है, तहसीलदार ने बिना किसी जांच के अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से यथावत रखे जाने योग्य नही होने से नामान्तरकरण संख्या 88 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, देसूरी को रिमाण्ड कर आदेशित किया कि वे अपीलाधीन नामान्तरकरण मे अंकित राजस्व भूमि के मृतक खातेदारान के विधिक वारिसानों की विधिवत जांच कर बाद जांच एवं सुनवाई न्यायसंगत आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है, जिसे यथावत रखा जावे ।

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 7.7.2015 को नोटिस की तलबी शेष के लिये चल रही थी, इसके बावजूद रेस्पोडेन्टस को सूचना दिये बिना ही पेशी दिनांक 7.7.2015 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 1.6.2015 को मुर्कर कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2015 पारित कर दिया। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को भी तय किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

jktLo vihy l[; 88@2015 nxk cuke ikuh oxjk

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर, पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः न्यायासंगत आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ yfyr dekj xIrk ½
fMoh tuy dfe'kuj]tk/kij